रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941
No. 425] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 525(अ).—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथाः-

1. (1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सराकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985, के नियम 67ख में-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"(1) इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, सरकारी अपील एवं क्षारोद कारखाना या डायरेक्टरेट फॉर फोरेंसिक साइंस सर्विसेस स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की उतनी मात्रा में अधिप्राप्ति, उत्पादन या आयात या आपूर्ति कर सकता है जितनी कि केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न औषधिक कानून की प्रवर्तन एजेंसियों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण संशथानों के द्वारा नमूना लिए जाने के लिए जरूरी हों।

स्पष्टीकरणः- किसी भी संदेह के समाधान के लिए एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल डॉयरेटरेट फॉर फोरेंसिक साइंस सर्विसेस ही केन्द्र और राज्य सरकारों की फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी नमूनों के बारे में निर्णय लेगी।";

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"(3) जिस किसी भी प्रवर्तन एजेंसी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण संस्थान या संगठन को ऐसे नमूनों की जरूरत होगी वह मुख्य नियंत्रक, वह कारखानों के मुख्य नियंत्रक या डॉयरेक्टरेट फॉर फोरेंसिक साइंस सर्विसेस, जैसी भी स्थिति हो, को फॉर्म सं. 8 में आवेदन करेगा।";

(iii) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"(5) जिस संगठन को ऐसे नमूनों की जरूरत होगी वह इसका रिकॉर्ड रखेगा और कारखानों के मुख्य नियंत्रक या डॉयरेक्टरेट फॉर फोरेंसिस साइंस सर्विसेस को फॉर्म सं. 9 में वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा।"

[फा. सं. एन/11011/1/2014-एनसी-II]

अनिल कुमार मदान, अवर सचिव

नोट : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005,सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 224(अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 5 मई, 2015, सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, सा.का.नि. 187 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018 a सा.का.नि. 215 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely: -

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Second (Amendment) Rules, 2019.

(2) They come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 67B, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Government Opium and Alkaloid Works or Directorate for Forensic Science Services may procure, manufacture or import and supply narcotic drugs and psychotropic substances as may be required as samples by various drug law enforcement agencies, testing laboratories and training institutions of the Central and State Governments.

Explanation .- For removal of doubts it is hereby clarified that the Directorate for Forensic Science Services shall only deal with requirements of samples for the Central and State Government forensic science laboratories.";

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) Any enforcement agency, laboratory, training institution or organisation requiring the samples shall apply to the Chief Controller of Factories or Directorate for Forensic Science Services, as the case may be in Form No.8.";

(iii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) The organisation requisitioning the samples shall maintain records and submit an annual report to the Chief Controller of Factories or Directorate for Forensic Science Services in Form No. 9."

[F. No. N/11011/1/2014-NC-II]

ANIL KUMAR MADAN, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005,G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated the 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated the 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated the 1st July, 2014, G.S.R. 74(E), dated the 5th February, 2015, G.S.R. 224(E), dated the 25th March, 2015, G.S.R. 359 (E), dated the 5th May, 2015, G.S.R. 500 (E), dated the 17th June, 2015, G.S.R. 685 (E), dated the 12th July, 2016, G.S.R. 61(E), dated the 20th January, 2017, G.S.R 428 (E), dated the 2nd May, 2017, G.S.R 187 (E), dated the 27th February, 2018 and G.S.R 215 (E), dated the 13th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.26 11:51:19 +05'30'